

आचार संहिता

प्यूमा मानवाधिकार का सम्मान करती है। यह सम्मान हमारे संचालन वाले समाजों में तथा हमारी पूरी आपूर्ति शृंखला में हमारे सहयोगियों के साथ हमारे संबंधों को परभाषित करता है।

प्यूमा पर्यावरण का सम्मान करती है। हम अपने संगठन तथा आपूर्ति शृंखला दोनों के पर्यावरण पर प्रभाव का प्रबंधन करने इसे कम करने तथा इसे रिपोर्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

रोजगार संबंध

वकिरेता और उनके उपठेकेदार कामगारों का सम्मान करने वाले या कम-से-कम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों और नयियों के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले नयियों तथा शर्तों को अ

कोई बाल श्रम नहीं

वकिरेता और उनके उपठेकेदार वर्ष से कम उम्र या स्थानीय न्यूनतम कानूनी उम्र या अनविरय शिक्षा को पूरा करने की उम्र--इन तीनों में से जो अधिक हो--से कम उम्र के किसी व्यक्त को नियुक्त नहीं करेंगे।

सुरक्षित कार्य वातावरण

वकिरेताओं और उनके उपठेकेदारों को सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ कार्य-वातावरण प्रदान करना चाहिए। वकिरेताओं और उनके उपठेकेदारों को कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए और सक्रिय रूप से अच्छे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

संघों में शामिल होने एवं सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

वकिरेताओं और उनके उपठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों के यूनियनों या अन्य कार्य या उद्योग से संबंधित अन्य संघों में शामिल होने तथा सामूहिक रूप से सौदा करने के अधिकार की अवश्य गारंटी दी जानी चाहिए। इन अधिकारों को उत्पीड़न हस्तक्षेप या प्रतेशोध के भय के बनिा दिया जाना चाहिए।

कोई भेदभाव नहीं

वकिरेता और उनके उपठेकेदार अपने कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। कर्मचारियों के धर्म आयु लिंग गर्भावस्था वैवाहिक स्थिति विकलांगता राष्ट्रीयता जाति जातीय मूल राजनैतिक विचारों या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बनिा उनके साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाता है।

नैतिक व्यवसाय प्रथाएँ

प्यूमा एसई न तो आपूर्ति शृंखला में और न ही अपने स्वयं के संचालन में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेगी।

ये दो प्रतबिद्धताएँ प्यूमा आचार संहिता में सार्वजनिक रूप से और पारदर्शी तरीके से दर्शाई गई हैं।

हमारे सभी कर्मचारियों वकिरेताओं और उनके उपठेकेदारों के लिए इस आचार संहिता का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। जहाँ मतभेद या टकराव उठे वहाँ सर्वोच्च मानक लागू होंगे।

गरमा और सम्मान

उत्पीड़न शारीरिक दंड और शारीरिक यौन मनोवैज्ञानिक या मौखिक दुरुपयोग को प्यूमा आपूर्ति शृंखला में सहन नहीं किया जाता है। वकिरेता और उनके उपठेकेदार जेल श्रम कारनामों से बंधे मजदूर या बंधुआ मजदूर सहित बेगार के किसी भी रूप का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

उचित मुआवज

हर कामगार को एक नियमित कार्य सप्ताह के लिए उचित वेतन का अधिकार है जो किकामगार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही कुछ वविकाधीन आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो। नयिकता कम-से-कम न्यूनतम मजदूरी या उचित प्रचलित मजदूरी में से जो भी अधिक हो का भुगतान करेंगे मजदूरी संबंधी सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तथा कानून या अनुबंध द्वारा आवश्यक अन्य सभी लाभ प्रदान करेंगे।

जहाँ पर वेतन मजदूरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करता और कुछ वविकाधीन आय प्रदान नहीं करता है प्रत्येक नयिकता संबंधित हतिधारकों के साथ काम करके उचित कार्रवाई करेगा ताकि उत्तरोत्तर वेतन एक संतुष्टिदायक स्तर तक पहुँच सके।

कोई अतिरिक्त कार्य समय नहीं

वकिरेताओं और उनके उपठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को स्थानीय श्रम कानून द्वारा अनुमोदित नियमित कार्य-सप्ताह के अतिरिक्त और अधिकतम ओवरटाइम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। एक नियमित कार्यसप्ताह घंटों से अधिक का नहीं होना चाहिए और प्रत्येक सात दिनों की अवधि के लिए एक दिनों की छुट्टी अवश्य दी जानी चाहिए।

असाधारण परिस्थितियों के अलावा एक सप्ताह में नियमित और ओवरटाइम घंटों का योग घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ओवरटाइम स्वैच्छिक होना चाहिए और एक प्रीमियम दर पर इसका भुगतान करना चाहिए तथा नियमित रूप से इसका अनुरोध नहीं होना चाहिए।

पर्यावरण का सम्मान

वकिरेताओं और उनके उपठेकेदारों को स्थानीय पर्यावरण संरक्षण कानून या अंतरराष्ट्रीय उद्योग के मानकों में से जो भी उच्च हो का सम्मान करना चाहिए। सभी वकिरेताओं और उनके उपठेकेदारों को पर्यावरण पर उनके प्रभाव को माप कर उसे उत्तरोत्तर कम करना चाहिए।

क्षेत्र	टेलीफोन	भाषाएँ
दक्षिण - पूर्व एशिया	+84 989385612 +628 11 227 2143	
दक्षिण एशिया	+880 1708469256	
पूर्वी एशिया	+86 13622884924	
अमेरिका	+503 77871132	
यूरोप मध्य पूर्व और अफ्रीका	+49 15114743876 +90 532 483 6685	

वकिरेता और उनके उपठेकेदार स्वीकार करते हैं कि उनकी व्यवसायिक प्रथाएँ जाँच के अधीन हैं। सभी उपठेकेदारों को प्यूमा द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना वकिरेता की ज़िम्मेदारी है कि इस आचार संहिता का उनके सभी उपठेकेदारों द्वारा सम्मान किया जाए।

प्यूमा एसई इस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाई जाने वाली किसी भी कंपनी के साथ कारोबार बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

इस संहिता और इसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी प्रश्नों शकियताओं और सुझावों के लिए sustain@puma.com पर संपर्क करें या अपने स्थानीय प्यूमा संवहनीयता टीम से संपर्क करें।